विदेशी मुद्रा गतिविधियां

सितंबर 2009

i) राजनयिक शिष्टमंडलों के विदेशी मुद्रा खाते - वीसा शुल्क जमा करना

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि राजनयिक शिष्टमंडलों को सामान्य बैंकिंग माध्यमों के जरिये भारत के बाहर से प्राप्त आवक धन-प्रेषणों की आगम राशि के अतिरिक्त , भारतीय रुपयों में भारत में संगृहीत वीसा शुल्क रुपये खाते से राजनयिक शिष्टमंडलों द्वारा विदेशी मुद्रा में रखे गए खातों में अंतरित करते हुए जमा करने की अनुमति दी जाए ।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंकों को राजनयिक शिष्टमंडलों को भारतीय रुपयों में भारत में संगृहीत वीसा शुल्क रुपये खाते से राजनयिक शिष्टमंडलों द्वारा विदेशी मुद्रा में रखे गए खातों में अंतरित करते हुए जमा करने की अनुमति देने की अनुज्ञा प्रदान की गई है।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.08
दिनांक 14 सितंबर 2009]

ii) एक्जिम बैंक की मोजेंबिक गणतंत्र की सरकार को 30 मिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण सहायता

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) ने मोजेंबिक गणतंत्र की सरकार के साथ मोजेंबिक के गाजा, जांबेजिया और नाम्पुला प्रांतों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए भारत से और परामर्शदात्री सेवाओं सहित पात्र वस्तुओं, सेवाओं, मशीनरी तथा उपस्कर के वित्तपोषण के लिए 30 मिलियन अमरीकी डॉलर (तीस मिलियन अमरीकी डॉलर) की ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए 6 मई 2009 को एक करार किया है ।

[ए.पी.(डीआइआर सिरीज)परिपत्र सं.09
दिनांक 24 सितंबर 2009]